



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029
टेली: 2618 9709



सत्यमेव जयते

याचिका सं. 150/टीडी/2025

दिनांक: 14.2.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप धारा (5) के खंड (क) के तहत नोटिस

पैन इण्डिया में विद्युत के अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-V अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन सनश्योर पावर मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, 1101ए-1107, 11वां तल, बीपीटीपी पार्क सेन्द्रा, जल वायु विहार, सेक्टर-30, गुरुग्राम, हरियाणा द्वारा आयोग के समक्ष किया गया है।

2. सनश्योर पावर मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों की प्रति सहित आवेदन के लिए वेबसाइट <https://sunsure-energy.com> में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक 14.2.2025 के आदेश द्वारा आयोग ने पैन इण्डिया में विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-V अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया है।

4. नोटिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि आयोग द्वारा यथोक्त विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव हेतु सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई है, को उक्त पते पर 4.3.2025 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आयोग ने 6.3.2025 को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किया है और जो व्यक्ति सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता./-

(हरप्रीत सिंह पुथी)

सचिव